

is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.		
---	--	--

[No.3-5/2019-P1g &amp; HRD (RR)]

P.G. KALADHARAN, Director (Admn.)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 126.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, (समूह-III अराजपत्रित पद), भर्ती नियम, 1968 तारीख 15 जून, 1968 को जहां तक उसका संबंध फोटोग्राफर ग्रेड-1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (समूह II, अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1973 तारीख 16 नवम्बर 1973, ज्येष्ठ फोटोग्राफर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (समूह I और II राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967 और फोटो अधिकारी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में, फोटो अधिकारी और ज्येष्ठ फोटोग्राफर के पद की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, फोटो अधिकारी और ज्येष्ठ फोटोग्राफर (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : इन नियमों के उपबंध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.— वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. फोटो अधिकारी	*7 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (रु. 44,900-1,42,400)	चयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों की आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति:- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
वेतन मैट्रिक्स (रु. 35,400-1,12,400) के स्तर 6 में ऐसे ज्येष्ठ फोटोग्राफर जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने पुरातत्व संबंधी फोटोग्राफी में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा के अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	<b>विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना इस प्रकार होगी:-</b> (1) अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - अध्यक्ष (2) निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य (3) निदेशक (अन्वेषण एवं उत्खनन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ज्येष्ठ फोटोग्राफर	*38 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹.35400,1,12,400)	चयन पद	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- आयु-सीमा को निर्धारित करने की अंतिम तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए विज्ञापन के अनुसार होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(i) किसी विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से ललित कला (फोटोग्राफी) अथवा दृश्य कला और फोटोग्राफी में स्नातक डिग्री अथवा</p> <p>(iii) पुरातत्व या संग्रहालय या सांस्कृतिक विरासत से संबंधित फोटोग्राफी कार्य में चार वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से फोटोग्राफी में डिप्लोमा</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	नहीं	दो वर्ष टिप्पण: दो वर्ष में सीधी भर्ती के लिए दो सप्ताह की अनिवार्य अधिष्ठापन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना शामिल होगा।	70 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; 30 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)

(11)	(12)	(13)
<p>ऐसे फोटोग्राफर श्रेणी - 1 जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (रु.29, 200,-92300) सहित इस श्रेणी में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने फोटोग्राफी संबंधी पुरातत्व में दो से चार सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।</p> <p>जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा के अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर या उपक्रम या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों ; अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (रु 29,200-92,300) के पदों पर नियमित आधार पर नियुक्त के पश्चात उस श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और</p> <p>(ख) स्तम्भ 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हों।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर महानिदेशक , भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - अध्यक्ष</li> <li>2. निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य</li> <li>3. निदेशक (अन्वेषण एवं उत्खनन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण- सदस्य</li> </ol> <p>विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करके के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - अध्यक्ष</li> <li>2. निदेशक (प्रशासन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य</li> <li>3. निदेशक (अन्वेषण एवं उत्खनन), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण - सदस्य</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

<p>अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>	
--	--

[फा. सं. 3-2/2019-प्लानिंग एवं एच.आर.डी.(आर.आर.)]

पी.जी. कलाधरन, निदेशक (प्रशासन)

New Delhi, the 31st August, 2020

**G.S.R. 126.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Archaeological Survey of India (Class III – Non-Gazetted Posts), Recruitment Rules, 1968 dated the 15<sup>th</sup> June, 1968, in so far as they relate to the post of Photographer Grade-I, the Archaeological Survey of India (Class II, Non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 1973 dated the 16<sup>th</sup> November, 1973, in so far as they relate to the post of Senior Photographer and the Archaeological Survey of India (Class I and Class II Gazetted posts) Recruitment Rules, 1967 in so far as they relate to the post of Photo Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Photo Officer and Senior Photographer in the Archeological Survey of India, Ministry of Culture, namely :-

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Archeological Survey of India, Photo Officer and Senior Photographer (Group 'B' posts), Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age-limit, qualification etc.** .—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**5. Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Photo Officer	*7 (2020) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non- Ministerial.	Level - 7 (Rs.44,900-1,42,400)	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion from amongst Senior Photographer in Level-6 (Rs.35,400-1,12,400) with five years regular service in the grade and having undergone training for duration of two to four weeks in archaeology related photography. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	<b>Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of :-</b> (1) Additional Director General, Archaeological Survey of India - Chairman; (2) Director (Administration) Archaeological Survey of India - Member; (3) Director (Excavation and Exploration) Archaeological Survey of India - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.Senior Photographer	*38 (2020) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Non-Ministerial.	Level - 6 (Rs 35,400-1,12,400)	Selection post	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for

					determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
<p>(i) Bachelor's degree in Fine Arts (Photography) or Bachelor's degree in Visual Arts and Photography from a recognised university or institution; or</p> <p>(ii) Diploma in Photography from a recognised university or institution with four years experience in photography work related to archaeology or museum or cultural heritage.</p> <p><b>Note 1:</b> The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	No	<p>Two years</p> <p><b>Note:</b> The period of two years shall include successful completion of mandatory induction training of two weeks duration for direct recruits.</p>	<p>70% by Direct Recruitment; 30% by promotion failing which by deputation including Short Term Contract.</p>

(11)	(12)	(13)
<p><b>Promotion:</b> Photographer Grade I in Level-5 (Rs 29,200-92,300) with six years regular service in the grade and having undergone training for duration of two to four weeks in Archaeology related Photography. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next</p>	<p><b>Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</b></p> <p>(1) Additional Director General, Archaeological Survey of India -Chairman; (2) Director (Administration) Archaeological Survey of India -Member; (3) Director (Excavation and Exploration) Archaeological Survey of India - Member.</p> <p><b>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of</b></p> <p>(1) Additional Director General, Archaeological Survey of India -Chairman; (2) Director (Administration) Archaeological Survey of India- Member; (3) Director (Excavation and Exploration) Archaeological Survey of India - Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

<p>higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b><u>Deputation (including short term contract):</u></b></p> <p>Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or recognised universities or research Institutes or public sector undertakings or statutory or autonomous organisations:</p> <p>(A)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-5 (Rs 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7).</p> <p>The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.</p> <p>The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p>		
--	--	--

[F. No.3-2/2019-Plg & HRD (RR)]  
P.G.KALADHARAN, Director (Admn.)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 127.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय एटलस और थिम्बैटिक मानचित्रण संगठन (अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी